

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
आदेश

आदेश संख्या वि०-०५-०७/२०२१-१८१/

पटना, दिनांक-१५/७/२०२२

विधि विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या-६७४ दिनांक-०९.०८.२०२१ द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, २००६ की धारा ८७ की उप धारा (१) में निम्नवत् संशोधन किया गया है:-

“बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव अथवा उससे अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनन्य रूप से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद के लिए यथा विहित बंधेजो एवं शर्तों पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।”

जिला परिषद के लिए पूर्व से उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप बिहार पंचायत राज अधिनियम, २००६ की धारा ८८(१) (ड़) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को जिला परिषद की निधियों से धन की निकासी एवं संविरतण हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

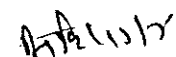
ज्ञापांक : ८५/वि०-०५-०७/२०२१-६६०४/पं०रा० पटना, दिनांक-१५/७/२०२२
प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

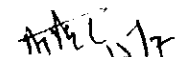
ज्ञापांक : ८५/वि०-०५-०७/२०२१-६६०४/पं०रा० पटना, दिनांक-१५/७/२०२२
प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : ८५/वि०-०५-०७/२०२१-६६०४/पं०रा० पटना, दिनांक-१५/७/२०२२
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : ८५/वि०-०५-०७/२०२१-६६०४/पं०रा० पटना, दिनांक-१५/७/२०२२
प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

१५/७/२०२२